

जनपद चमोली में राज्य योजना अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री की घोषणा मे॒ बिधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग मे॒ बै॑ला सिमली से शैलेश्वर मोटर मार्ग के किमी सं० से तक 3.450 किमी नव निर्मित किये जाने वाले मोटर मार्ग मे॒ वन भूमि पर वन मे॒ मोटर मार्ग के दोनों तरफ आर० सी० सी० सीमा पिलर निर्माण कार्य करना केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर (धनपुर वन क्षेत्र) 1.340 है० वन पंचायत/सिविल वन भूमि मे॒

क्र० सं०	कार्य का नाम	पिल्लरो की कुल संख्या	कुल किमी०	दर	धनराशि
1-	जनपद चमोली में राज्य योजना अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री की घोषणा मे॒ बिधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग मे॒ बै॑ला सिमली से शैलेश्वर मोटर मार्ग के किमी सं० से तक 3.450 किमी नव निर्मित किये जाने वाले मोटर मार्ग मे॒ वन भूमि पर वन मे॒ मोटर मार्ग के दोनों तरफ आर० सी० सी० सीमा पिलर निर्माण कार्य करना केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर (धनपुर वन क्षेत्र) 1.340 है० वन पंचायत/सिविल वन भूमि मे॒	0.60× 0.60 × 0.60 सेमी के आर० सी० सी० सीमा पिल्लर	1.950 किमी 1.34 है० वन भूमि के दोनों तरफ	11640/- किमी	22698.00

उप वन संरक्षक  
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग  
गोपेश्वर (चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी  
धनपुर वन क्षेत्र  
धनपुर वन क्षेत्र गौचर

फैक्ट शीट

परियोजना का नाम— जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली शोलेश्वर मोटर मार्ग का नव निर्माण

2:- प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल ( है. में )	1.340 है.
आरक्षित वन भूमि—	— —शून्य— है.
सिविल एवं सोयम वन भूमि:-	0.500 है.
वन पंचायती भूमि—	0.840 हैं.
मक डिस्पोजल क्षेत्र(सिविल) —	0.100 है.
निजी भूमि —	<u>1.075 है.</u>

- 3:- प्रस्तावक विभाग का नाम :— लोक निर्माण विभाग
- 4:- वन प्रभाग का नाम :— केदारनाथ बन्ध जीव प्रभाग गोपेश्वर।
- 5:- प्रस्ताव बांडिंग किया गया है:— हॉ/ नहीं
- 6:- प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है:— हॉ/ नहीं
- 7:- क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग -1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है। हॉ/ नहीं
- 8:- क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है— हॉ/ नहीं,
- 9:- प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है:— हॉ/ नहीं,
- 10:-प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची / संलग्न है:— हॉ/ नहीं
- 11:- बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में संबंधित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है— हॉ/ नहीं
- 12:- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावत विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है। हॉ/ नहीं

13:—समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप

से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है:—

हॉ / नहीं

14:— क्या वृक्षों की संख्या अनुसार हरियाली का घनत्व सही है:—

हॉ / नहीं

15:— क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल

उपयुक्तता प्रमाण—पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है:—

हॉ / नहीं

16:— क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया

गया है:—

हॉ / नहीं

17:— प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना के आस—पास रिक्त

पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है:—

हॉ / नहीं

18:— क्या परियोजना क्षेत्र बन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से

महत्वपूर्ण है:—

हॉ / नहीं

19:— प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है:—

यदि हॉ तो मुख्य बन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है—

हॉ / नहीं

20:— क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है:—

हॉ / नहीं

21:— प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से

आगे निर्माण किया जाना है ( यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे

नया प्रस्तावित है।

बनाया जाना है तो पूर्व में जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति

की प्रति संलग्न करें):—

22:— क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग—2

रंगों से भरा गया है:—

हॉ / नहीं

23:— यदि सड़क का आरभिक विन्दु किसी मार्ग से निकलता

है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है:—

हॉ / नहीं

24:— क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का

उल्लंघन हुआ है:—

हॉ / नहीं

25:- यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी  
अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई  
कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय:-

हॉ / नहीं

26:- सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें / वैकल्पिक  
समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं:-

हॉ / नहीं

27:- वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत  
नोट संलग्न किया जाय):-

संलग्न

28:- लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है(5 है. से  
अधिक के प्रकरणों में लागू होगा):-

हॉ / नहीं

29:- मानचित्र व वार चार्ट में एक रूपता है:-

हॉ / नहीं

30:- मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है:-

हॉ / नहीं

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण -पत्र संलग्न है:-

हॉ / नहीं

31:- राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण -पत्र  
प्रस्ताव में संलग्न है:-

हॉ / नहीं

32:- क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियों मूल  
में संलग्न है, यदि छाया प्रतियों संलग्न की गई है तो क्या वे  
सत्यापित हैं:-

हॉ / नहीं

33:- यदि वन भूमि लीज पर दी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र,  
संलग्न है:-

लागू नहीं

34:- वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है:-

हॉ / नहीं


35:- क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है:-


हॉ / नहीं


36:- क्या वैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र -संलग्न:-

हॉ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार  
गठित किया गया है समस्त प्रमाण -पत्र / सूचनायें संलग्न कर दी गयी है।

  
अमान  
लो.नि.वि.

  
कर्णप्रयाग  
लो.नि.वि.  
कर्णप्रयाग

  
सहायक अभियन्ता  
लो.नि.वि.  
कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.  
कर्णप्रयाग